आदेश–पत्रक
(देखें अभिलेख हस्तक 1946 का नियम)
केस का प्रकार– विविध वाद सं. 02/16-17 सुमित्रा देवी बनाम सुमन भारती

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश के आलोक में की गई कार्रवाई का पत्रांक एवं दिनांक
13.06.2017	**आदेश** यह विविध वाद सुमित्रा देवी बनाम् सुमन भारती माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा CWJC No 6104/2013 में दिनांक 29.03.2016 को पारित आदेश के आलोक में दाखिल किया गया है। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विविध वाद सं0 40/2008–09 में आवेदिका पक्षकार थी तथा समाहर्त्ता खगड़िया द्वारा दिनांक 09.02.2012 को पारित आदेश के खिलाफ विपक्षी सुमन भारती द्वारा प्रमंडलीय आयुक्त, मुंगेर के न्यायालय में सर्विस अपील सं0 25/2012 दायर किया गया। प्रमंडलीय आयुक्त, मुंगेर द्वारा उक्त सर्विस अपील में दिनांक 05.02.2013 पारित आदेश के खिलाफ आवेदिका सुमित्रा कुमारी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय पटना के CWJC दायर किया गया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा CWJC No 6104/2013 में दिनांक 29.03.2016 को पारित आदेश में समाहर्त्ता, खगड़िया एवं प्रमंडलीय आयुक्त, मुंगेर द्वारा पारित आदेश को निरस्त करते हुए सभी प्रक्रिया पूरी कर निर्णय पारित करने का आदेश दिया गया है। समाहर्त्ता, खगड़िया द्वारा दिनांक 09.02.2012 को पारित आदेश से स्पष्ट होता है कि विविध वाद सं0–40/08–09 सुमित्रा कुमारी बनाम् सुमन भारती, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, खगड़िया के पत्रांक–11 (मु0) जि0प्रा0, दिनांक 17.07.2008 के आलोक में आरंभ की गयी। संबंधित पत्र के साथ अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी का जांच प्रतिवेदन पत्रांक 299/गो0, दिनांक 29.05.2008 है जो सुमित्रा कुमारी, पति तनुकलाल यादव, ग्राम एवं पोस्ट–ढ़ाढ़ी प्रखंड बेलदौर जिला–खगड़िया के आवेदन का जांच प्रतिवेदन है। जांच प्रतिवेदन के आधार पर अभिलेख संधारित दिनांक 29.07.2008 को की गयी तथा प्रतिवादी सुमन भारती को नोटिश दिया गया। नोटिशन पर दोनों पक्ष उपस्थित होकर अपना–अपना कारण पृच्छा दाखिल किया। सुमित्रा कुमारी ने कारण पृच्छा में अपने आवेदन में पूर्व में दिए गए आरोप अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी के प्रतिवेदन को सही ठहराते हुए आंगनवाड़ी केन्द्र सं0–122 जो बलैठा पंचायत में है, में सेविका के पद पर नियुक्ति को रद्द कर आवेदिका को नियुक्ति की प्रार्थना किया गया। प्रतिवादी की ओर से काफी समय दिए जाने के बाद दिनांक 11.01.2010 को अपना आपत्ति पत्र दाखिल करते हुए उन्होंने	

संस्कृत शिक्षा बोर्ड सं0 1999 में निर्गत कोड सं0–40 क्रमांक 464 के कुल प्रस्ताव 523 के आलोक में किया गया है, जो भागलपुर के मध्यमा परीक्षा उत्तीर्ण की है तथा अपनी कारण पृच्छा की सम्पुष्टि में एक शपथ पत्र भी दाखिल किया गया तथा अपनी आंगनवाड़ी सेविका के चयन को सही ठहराते हुए वाद की कार्रवाई को समाप्त करने की प्रार्थना की गयी। प्रतिवादी ने 22.02.2010 को एक आवेदन देकर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के पत्रांक 111, दिनांक 25.07.2009 को मांगते हुए उसके आधार पर कार्रवाई करने की प्रार्थना की गयी।

इसी बीच आवेदिका ने माननीय उच्च न्यायालय में CWJC No 16576/2010 सुमित्रा कुमारी बनाम् राज्य सरकार एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 04.02 2011 की छायाप्रति तथा शपथ पत्र सं0 3027 दिनांक 03.03.2011 तथा आवेदन पत्र दाखिल किया जिसे सुनवाई के साथ इसे वाद में सम्मिलित कर लिए जाने का आदेश दिया गया तथा सम्मिलित कर लिया गया।

प्रतिवादी के विज्ञ अधिवक्ता ने बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बेलदौर के पत्रांक 111 दिनांक 25.07.2009 को मंगाने का अनुरोध किया गया जिसे स्वीकृत कर मांग की गई। दोनों पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत करते हुए अपने–अपने दावे को सही ठहराते हुए विस्तार पूर्वक तर्क प्रस्तुत किया गया।

दोनों पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता के तर्कों को सुना गया तथा अभिलेख कर उपलब्ध अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी के जांच प्रतिवेदन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बेलदौर के पत्रांक 111 दिनांक 25.07.2009 तथा आवेदिका द्वारा मतदाता सूची तथा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, खगड़िया से प्राप्त अनुलग्नक में कार्यवाही पंजी की छायाप्रति का भली भांति परिशीलन किया गया और पाया गया कि :–

1. ग्राम पंचायत राज बलैठा के मुखिया द्वारा चयन के लिए दिनांक 21.06.2007 को आम सभा आयोजित की गयी तथा अंकित किया गया है कि आवेदिका सुमित्रा कुमारी एवं अन्य दो का आवेदन पोषक क्षेत्र के नहीं होने के कारण आवेदन अस्वीकृत किया गया।
2. आवेदिका के आवेदन पर अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी द्वारा जांच की गयी। प्रतिवेदन पत्रांक 299/गो0, दिनांक 29.05.2008 प्राप्त हुआ है उक्त जांच प्रतिवेदन में अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि सुमन भारती के द्वारा 1999 में ही बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, पटना का मध्यमा परीक्षा का दो अंक पत्र दिया गया है क्रमशः अंक पत्र संख्या 21500 में कुल प्राप्तांक 523 है तथा नं0 073688 में कुल प्राप्तांक 692 है अर्थात दो प्रमाण पत्र एक वर्ष में प्राप्त किया गया है, जो स्पष्ट जाली प्रतीत होता है।
3. अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी द्वारा जांच में अंकित किया गया है कि सुमित्रा कुमारी वार्ड नं0 15 पंचायत बलैठा की रहने वाली है

प्राप्तांक 606 है।

4. अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी द्वारा स्पष्ट प्रतिवेदित किया गया है कि सुमित्रा कुमारी मतदाता सूची के आलोक में बलैठा पंचायत के बार्ड सं0 15 की रहने वाली है तथा केन्द्र सं0 122 के पोषक क्षेत्र की है तथा चयन समिति द्वारा जान बुझकर योग्य उम्मीदवार के आवेदन को रद्द कर दिया गया है। अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी द्वारा चयन प्रक्रिया को रद्द करने की अनुशंसा की गयी।

उपर्युक्त सभी बिन्दुओं से स्पष्ट हुआ कि ग्राम पंचायत राज बलैठा के द्वारा आंगनवाड़ी केन्द्र सं0 122 पर गलत तरीके से चयन प्रक्रिया अपना कर व्यक्ति विशेष के प्रभाव में अपना निर्णय लेकर सुमन भारती को सेविका पद पर चयन की गयी है, जो अवैध है।

उपरोक्त तथ्यों तथा कागजात के परिशीलन के पश्चात स्पष्ट हुआ कि अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी का जांच प्रतिवेदन 299/सी0, दिनांक 29.05.2008 सत्य है। अतएव सुमन भारती के चयन आंगनवाड़ी केन्द्र सं0 122 पंचायत राज बलैठा बेलदौर के दिनांक 21.06.2007 को रद्द कर दिया गया। और निदेश दिया गया कि बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बेलदौर चयन प्रक्रिया संचालित कर आंगनवाड़ी केन्द्र में नियमानुसार चयन की कार्रवाई करेंगे। अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी अपने देखरेख में इस चयन प्रक्रिया को एक माह के अन्दर पूर्ण कर लेंगे।

इस आदेश के विरूद्ध सुमन भारती द्वारा प्रमंडलीय आयुक्त, मुंगेर के यहाँ अपील दाखिल किया गया। प्रमंडलीय आयुक्त, मुंगेर द्वारा दिनांक 05.02.2013 को पारित आदेश में समाहर्त्ता के आदेश को निरस्त कर दिया गया तथा जिला पदाधिकारी/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, खगड़िया को आदेश दिया गया कि आदेश प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर सुमन भारती को नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाय। इस आदेश के विरूद्ध सुमित्रा कुमारी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में सी0डब्लू0जे0सी0 दायर किया गया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा समाहर्त्ता, खगड़िया एवं प्रमंडलीय आयुक्त, मुंगेर के आदेश को निरस्त कर 6 माह के अन्दर प्रक्रिया पूरी कर निर्णय पारित करने का आदेश दिया गया।

दोनों पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता सुना गया।

सुमित्रा कुमारी के अधिवक्ता का कथन है कि सुमन भारती की नियुक्ति गलत तरीके से किया गया है। इसलिए समाहर्त्ता, खगड़िया द्वारा दिनांक 09.02.2012 को पारित आदेश को यथावत रखते हुए सुमित्रा कुमारी का चयन किया जाय।

सुमन कुमारी के अधिवक्ता का कहना है कि आंगनवाड़ी सेविका के चयन हेतु मैपिंग पंजी तैयार किया गया।

पति तनुकलाल यादव का नाम दर्ज नहीं है, क्योंकि उस समय सुमित्रा कुमारी उस पोषक क्षेत्र की नहीं थी जिस कारण उसका चयन नहीं किया गया और सुमन भारती का चयन किया गया। सुमन भारती के विज्ञ अधिवक्ता का यह भी कथन है कि सुमन भारती द्वारा कोई दो मूल अंक पत्र दाखिल नहीं किया गया है। सुमन भारती का केवल एक ही अंक पत्र है जिसमें प्राप्तांक 523 है। सुमन भारती के नाम से अगर कोई अन्य अंक पत्र दिखाया जा रहा है तो वह निश्चित रूप से आवेदका सुमित्रा कुमारी उर्फ सुमित्रा देवी के द्वारा दाखिल किया गया है जो एक साजिश का परिणाम है। उनका यह भी कथन है कि उक्त केन्द्र संख्या 122 में पुनः चयन की प्रक्रिया पूरी कर दी गयी है और चयन में भी आवेदिका अपना दावेदारी की थी परंतु चयन नहीं हो सकी। उनके द्वारा दिनांक 21.06.2007 को चयनित आंगनवाड़ी सेविका के पद पर सुमन भारती को बहाल करने का अनुरोध किया गया।

बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बेलदौर से इस संबंध में जानकारी प्राप्त की गयी। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बेलदौर द्वारा बताया गया कि बलैठा पंचायत में केन्द्र सं0 122 में आंगनवाड़ी सेविका के चयन हेतु विधिवत विज्ञापन प्रकाशन कराया गया तथा आवेदन प्राप्त किया गया। जिसमें सुमित्रा देवी एवं सुमन भारती को भी प्राथमिकता दी गयी एवं उनदोनों द्वारा भी आवेदन दाखिल किया गया। नियमानुसार योग्यता क्रम सूची, पोषक क्षेत्र एवं वर्ग बाहुल्य के आधार पर वर्षा कुमारी का चयन किया गया है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि बलैठा पंचायत के केन्द्र सं0– 122 में विधिवत नियमानुसार सेविका का चयन किया जा चुका है तथा वादी और प्रतिवादी दोनों को अवसर दिया गया है। उक्त के आलोक में इस वाद में अब कोई निर्णय लिया जाना उचित नहीं है। अतः इसे खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

समाहर्ता
खगड़िया
3/6/17

समाहर्ता
खगड़िया
3/6/17